न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा मध्यप्रदेश

20/-

5 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित / विलोपित

फ.क्र. R. 5075-दो/17

श्रीमती विमलेश कुमारी सिंह पत्नी श्री हेमराज सिंह सा0 बिहरा तह0 कोटर जिला सतना मध्यप्रदेश ....निगराकार

बनाम

श्रीमती सुरतिया पत्नी श्री रामनिहोर सिंह सा0 बिहरा तह0 कोटर जिला सतना मध्यप्रदेश ....गैरनिगराकार

श्री अजय पाण्डेय, एड. द्वारा पेश किया गया / 21.2.17
21-02-17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

निगरानी विरूद्ध निर्णय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना मध्यप्रदेश के प्रकरण क्रमांक 42 अपील/09–10 आदेश दिनांक 20.5.16,

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विनयी है:–

प्रकरण के तथ्य

यह कि मौजा बिहरा तह0 कोटर स्थित भूमि किता 18 कुल रकवा 12.09 एकड स्व0 रामनिहोर सिंह के स्वत्वाधिकार में थी, रामनिहोर सिंह के द्वारा एक वसीयतनामा दिनांक 20.2.04 को अपी0 के पक्ष में लिखकर निष्पादित करा दिया था। इस वसीयत में यह उल्लेख भी किया गया था कि जब तक रामनिहोर की पत्नी सुरतिया जीवित है तब तक उक्त सम्पत्ति का अधिकारी अपी0 न होगा बल्कि सुरतिया की मृत्यु के बाद वह अपने नाम पर करा सकेगा।

विमलेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–**R**.5075–**II** / 17 जिला–सतना

श्रीमती विमलेश कुमारी सिंह / श्रीमती सुशीला सिंह

(1)	(2)	(3)
23.1.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय पाण्डे एड0 उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है, कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः आवेदक अधिवक्ता का अनूरोध स्वीकार किया जाता है, प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	